भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3095**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की उपलब्धता और सुलभता

3095. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता और सुलभता सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर तेलंगाना में बढ़ती कीमतों के संदर्भ में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) देश में किसानों के बीच जैविक उर्वरकों और संवहनीय कार्यपद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) रासायनिक अपवाह और मिट्टी तथा पानी की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) क्या कृषि स्थिरता पर रासायनिक उर्वरकों के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) "कृषि आदानों के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन" के माध्यम से प्रत्येक फसल मौसम (अर्थात खरीफ और रबी) से पहले प्रमुख उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा किए गए आकलन के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके, तेलंगाना सहित, राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है और उपलब्धता की स्थिति की निरंतर निगरानी करता है। यह आपूर्तियां स्वदेशी उत्पादन के साथ-साथ आयातों के माध्यम से की जाती हैं।

यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, उत्पादन लागत पर ध्यान दिए बिना किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किलोग्राम बोरी की सब्सिडी प्राप्त एमआरपी 266.50 रुपये है। इसके अतिरिक्त, पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत, फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों की एमआरपी विनियंत्रित है और इसे उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार यथोचित स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार, किसानों को उर्वरक वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) मृदा परीक्षण पर आधारित एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन की सिफारिश करके इनआर्गेनिक और आर्गेनिक दोनों स्त्रोतों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देता है। आईसीएआर जैव उर्वरकों/जैव समृद्ध आर्गेनिक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं और उत्पादों दोनों का विकास करता है। इसके अलावा, बजट घोषणा, 2023 के अनुसरण में और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों पर, सरकार ने आर्गेनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है, जिसमें रिसर्च गैप फडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपये की कार्पस निधि शामिल है। सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग की समस्याओं का समाधान होने की संभावना है जिससे रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग में कमी आएगी।

(ग) और (घ): आईसीएआर द्वारा पांच दशकों से दीर्घावधि उर्वरक परीक्षणों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत निर्धारित स्थलों पर की गई जांच से पता चला है कि केवल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निरंतर उपयोग से मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा जिससे अन्य प्रमुख और सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी आई। एनपीके और अन्य उर्वरकों की अनुशंसित खुराक के साथ भी, सूक्ष्म और सहायक पोषक तत्वों की कमी वर्षों से सीमित उपज का कारक बनी है। विशेष रूप से हल्की बनावट वाली मृदा में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अत्यधिक/अति प्रयोग के कारण भूजल में 10 मिलीग्राम एनओ3-एन/एल की अनुमत सीमा से अधिक नाइट्रेट संदूषण की भी संभावना है, जिससे पीने के लिए उपयोग किए जाने पर मनुष्य/पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

****